हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 44

मंगलवार, 27 अगस्त, 2024/5 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

"हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं इस माननीय सदन के समस्त सदस्यों का अभिनन्दन और आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर मान्य सदन के नेता, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी, प्रतिपक्ष के नेता, श्री जय राम ठाकुर जी, उप-मुख्य मन्त्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, समस्त मुख्य संसदीय सचिव और विधायकगण मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, यहां आप सभी का कोटिशः अभिनन्दन है। इसी सत्र में उप-चुनावों के माध्यम से प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों श्रीमती कमलेश ठाकुर, सुश्री अनुराधा राणा, कैप्टन रणजीत सिंह राणा, श्री विवेक शर्मा

व श्री हरदीप सिंह बावा जी का भी मैं सदन में स्वागत करता हूं। यह सत्र चौदहवीं विधान सभा का षष्टम् सत्र है। मैं आशा करता हूं कि 10 दिन चलने वाले इस मॉनसून सत्र में सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे सहयोग मिलता रहेगा। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठायें तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परम्पराओं तथा गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रहकर सदन में सार्थक चर्चा करें तथा सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें।"

(**राष्ट्रीय गान गाया गया।**)

1. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री टेक चन्द, श्री नारायण सिंह स्वामी व श्री दौलत राम चौधरी, पूर्व सदस्यों, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किए:-

1. **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**
2. **श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष**
3. **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री**
4. **श्री विनोद कुमार**
5. **श्री रणधीर शर्मा**
6. **श्री चंद्र शेखर**
7. **श्री राकेश जम्वाल**

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्गार व्यक्त किए-

"स्वर्गीय श्री टेक चन्द, श्री नारायण सिंह स्वामी व श्री दौलत राम चौधरी पूर्व सदस्यों के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने शोकोद्गार का जो प्रस्ताव इस सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाया है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं।

स्वर्गीय श्री टेक चन्द जी का जन्म दिनांक 16 अगस्त, 1945 को स्वर्गीय श्री दास जी के घर, गांव-छातर, डा0 जुगाहन, तहसील-सुन्दरनगर, मण्डी में हुआ था। वह वर्ष 1985 में पहली बार विधायक चुने गए। तदुपरान्त वर्ष 1993, 1998 और 2003 में पुनः विधायक चुने गये तथा वर्ष 1987 से 1993 तक उन्होंने कांग्रेस समिति में जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1973 से 1981 तक कला अध्यापक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इनका निधन 79 वर्ष की आयु में हुआ। इनकी विशेष रूचि सामाजिक कार्य, बेरोज़गारी, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा उभारने के लिए थी।

स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी का जन्म दिनांक 10 अप्रैल, 1933 को स्वर्गीय श्री हरी राम ठाकुर जी के घर गांव-लंजता, डा0 लेहरी सरल, बिलासपुर में हुआ था। श्री स्वामी जी वर्ष 1977 और 1982 में घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुने गए तथा वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष चुने गए। इनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी विशेष रूचि सामाजिक कार्य, बेरोज़गारी, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में थी। इन्होंने राजकीय अध्यापक संघ जिला बिलासपुर के प्रधान के तौर पर भी कार्य किया।

स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी का जन्म दिनांक 29 मार्च, 1946 को स्वर्गीय श्री नन्द लाल चौधरी जी के घर उप-महाल पुराना कांगड़ा में हुआ था। श्री चौधरी जी वर्ष 1993 से 1998 तक कांगड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने का विशिष्ट सम्मान भी अर्जित किया था। इन्होंने जिला कांग्रेस समिति में बतौर जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनकी विशेष रूचि सामाजिक कार्य के प्रति थी। इनका निधन दिनांक 06 जून, 2024 को ऑस्ट्रेलिया में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

अभी हाल ही में प्रदेश में हुई भारी वर्षा से प्रदेश को भारी जान-माल का नुकसान हुआ व सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। जिसमें कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया जिसकी भरपाई करना मुश्किल है।

मैं सभी दिवंगत आत्माओंकी शांति के लिए इस *मान्य सदन* की ओर से भी कामना करता हूं। सदन की भावनाओं को स्वर्गीय श्री टेक चन्द, श्री नारायण सिंह स्वामी व श्री दौलत राम चौधरी जी के शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा।"

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

नव-निर्वाचित सदस्यों का परिचय

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नव-निर्वाचित सदस्यों का परिचय दिया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की घोषणा करते ही नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने नियम-67 के अंतर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से संबंधित स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिस पर तुरन्त चर्चा करवाई जाए।

संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) ने कहा कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कानून-व्यवस्था से संबंधित पहले ही नियम-130 के तहत नोटिस दिया गया है जिस पर एक-दो दिन में चर्चा होगी। इसलिए इस विषय पर नियम-67 के तहत चर्चा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम-67 के तहत चर्चा उसी स्थिति में हो सकती है यदि सदन के समक्ष कोई ऐसा बहुत ही गम्भीर विषय हो जिस पर तुरन्त चर्चा करवानी आवश्यक हो।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही दुःखद बात है कि सरकार को प्रदेश में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर नहीं लग रही है जबकि डी0सी0 और एस0पी0 ऑफिस से 200 मीटर दूर कोर्ट परिसर में दिन-दिहाड़े गोलियां चलती हैं और लोग घायल होते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने **संसदीय कार्यमंत्री** की बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था की ऐसी कोई गम्भीर परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन घटनाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं उन पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

" आज सुबह 9:32 बजे माननीय सर्वश्री जय राम ठाकुर जी, बिक्रम सिंह जी, डॉ0 जनक राज जी, सुख राम चौधरी जी, सतपाल सिंह सत्ती जी, पवन कुमार काजल जी, रणधीर शर्मा जी, बलबीर सिंह वर्मा जी और श्री सुरेन्द्र शौरी जी से नियम-67 के अंतर्गत एडजोर्नमेंट मोशन प्राप्त हुआ जोकि नालागढ़, बिलासपुर, कांगड़ा, चम्बा और शिमला आदि जिलों में घटी आपराधिक घटनाओं व प्रदेश में निरंतर बिगड़ती कानून-व्यवस्था से संबंधित है। जिस घटना का जिक्र अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया वह घटना स्पेसिफिक है लेकिन जो विषय है उसमें इन सारी घटनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। इससे पहले भी जो हमारे पास विभिन्न नियमों के तहत नोटिस आए हैं हम उनमें चर्चाएं टेकअप कर रहे हैं। आज भी विभिन्न नियमों के तहत चर्चाएं लगी हुई हैं। सर्वश्री त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुख राम चौधरी और श्री राकेश जम्वाल जी ने भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा मांगी है। विधान सभा सचिवालय ने इस चर्चा को लिस्ट किया है और कल या परसों तक हम दोबारा से इस चर्चा को पुनः लिस्ट करेंगे। मैं स्थगन प्रस्ताव का नियम पढ़ रहा हूं- Rule 67 says 'Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker' यह ठीक है कि जो कल की घटना है वह दुःखद है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पुलिस ने इस घटना के ऊपर तत्परता से कार्रवाई करते हुए कड़ा एक्शन लिया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे विधान सभा सचिवालय और आप परिचित हैं। जिस घटना में एफ.आई.आर. हुई है उसका जिक्र में यहां नहीं करना चाह रहा हूं। आज इस मॉनसून सत्र का पहला दिन है और हमने आज की इस कार्यवाही में

बहुत से गंभीर विषय लाए हैं। अतः मुझे नियम-67 को इन्वोक करने का कोई मतलब नहीं लगता इसलिए जो नियम-67 में आपकी डिस्कशन आई है उसको मैं रिजैक्ट कर रहा हूं और मैं इस डिस्कशन को नियम-130 में लिस्ट कर रहा हूं।"

(माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने सदन से नारेबाजी करते हुए 12.15 बजे अपराह्न बहिर्गमन किया।)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री(उद्योग मंत्री) ने कहा कि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुश्री कंगना रणौत द्वारा किसानों/बागवानों पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और भाजपा के विधायकगण जो सदन से बहिर्गमन कर गए हैं, उन्हें भी इस विषय पर अपनी राय रखनी चाहिए। उन्होंने चाहा कि सदन में इस बारे में प्रस्ताव पास करके ऐसे बयानों का खंडन होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री तथा **उप मुख्य मंत्री** ने संसदीय कार्यमंत्री की बात पर सहमति प्रकट की।

माननीय राजस्व मंत्री ने भी माननीय सांसद महोदया द्वारा किसानों/बागवानों के विरुद्ध की गई टिप्पणी की आलोचना की तथा विपक्ष द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को सदन से बहिर्गमन करने का बहाना बताया।

(12.30 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः सदन में लौटे।)

माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर द्वारा सुश्री कंगना रणौत द्वारा किसानों/बागवानों पर दिए गए बयान के ऊपर टिप्पणी करने पर विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए अपने-अपने स्थान पर नारेबाजी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में नोंकझोंक आरंभ हो गई।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से सांसद सुश्री कंगना रणौत द्वारा किसानों के प्रति जो स्टेटमेंट दी गई है वह सभी न्यूज पेपर्स में रिपोर्टिड है और उसकी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी निन्दा की है। यहां पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने केवल उसका

रेफ्रैंस दिया है। माननीय सांसद महोदया द्वारा किसानों/बागवानों के विरुद्ध दिए गए बयान की यह सदन भी निन्दा करता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जब वॉकआउट किया था तो उस समय माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने माननीय सांसद सुश्री कंगना कणौत के बयान के ऊपर चर्चा हेतु एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन लाया था। अभी उस पर माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी बोल रहे हैं तो इनकी चर्चा को रेजोल्यूशन पर चर्चा माना जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने कहा कि जिस समय सदन में विपक्ष मौजूद नहीं था उस समय उनके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था कि माननीय सांसद कंगना रणौत ने जो किसानों के प्रति स्टेटमेंट दी है, वह निंदनीय है और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी उससे पल्ला झाड़ा है कि पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए न तो कंगना रणौत जी को अनुमति है और न ही वह बयान देने के लिए अधिकृत है। उनके द्वारा किसानों-बागवानों को रेपिस्ट कहना गलत है और इससे किसानों/बागवानों की भावनाएं आहत हुई हैं इसलिए यह सदन सुश्री कंगना रणौत के उस बयान का घोर खण्डन करता है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही रूलिंग दे दी है और विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ ही है और जब इस स्टेटमेंट का भाजपा के नेतृत्व ने खण्डन कर दिया है तो इसे विपक्ष का भी खण्डन माना जाता है।

2. प्रश्नोत्तर

दिन के लिए निर्धारित तारांकित/अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 2);

(2) हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 3);

(3) हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 4);

(4) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 5); और

(5) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 6)।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री चंद्र शेखर, सदस्य** ने "to call the attention of the Public Work Minister to the Pathetic condition and poor execution of NH-70 (Hamirpur-Mandi) causing damages to water supply schemes and houses."

माननीय लोक निर्माण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री चंद्र शेखर, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मन्त्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य** ने "नगरोटा बगवां के ट्रांसपोर्टर से करोड़ों की ठगी मामले के आरोपी को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।"

माननीय उप मुख्य मन्त्री(प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उप मुख्य मन्त्री(प्राधिकृत) ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

6. विधायी कार्य

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, ने प्रस्ताव किया कि "बाल-विवाह प्रतिषेध(हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4)" पारित हुआ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री जय राम ठाकुर, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> **"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जन-मानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान** बारे यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री चंद्र शेखर
2. श्री सुरेन्द्र शौरी
3. सुश्री अनुराधा राणा
4. श्री विपिन सिंह परमार
5. श्री किशोरी लाल
6. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर

नियम-130 के अन्तर्गत जारी चर्चा को दिनांक 28 अगस्त, 2024 तक के लिए स्थगित किया गया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार 28 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।